न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 38/2022

बउनवान

रूकमणी बाई आयु 41 वर्ष पुत्री स्व0 श्री छीतरलाल पत्नि पप्पूलाल, जाति बैरवा निवासी ग्राम दुर्जनपुरा तहसील बारां हाल निवासी चन्द्रेसल रोड़, गोपाल विहार, रंग तालाब कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा (राज0)

(अपीलांटा)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

(रेंस्पोडेंट)

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1484 दिनांक 19.09.2014 न्यायालय तहसीलदार, बारां अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :— 1. श्री निर्भय सिंह एडवोकेट (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 31.10.2023

अपीलांटा की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोले गये इंतकाल में अपीलांट रूकमणी बाई का नाम सहवन एवं राजस्व कर्मचारीयों की त्रुटि से द्वारका बाई गलत दर्ज कर दिया गया है, जो विधि सम्मत नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांटा का इंतकाल खुलने से पूर्व समस्त दस्तावेजात में रूकमणी बाई नाम दर्ज था, लेकिन इंतकाल खोलते समय रूकमणी बाई के स्थान पर द्वारका बाई नाम दर्ज कर दिया गया। राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटिवश आराजी खाता संख्या नया 598 पुराना 188 खसरा नंबर 2061/745 रकबा 1.68 है0 वाके माल कलमंडा तहसील व जिला बारां में रूकमणी की जगह गलत नाम द्वारका बाई दर्ज कर दिया है। उक्त इंतकाल में गलत नाम दर्ज होने से अपीलांटा सरकारी सुविधाओं का लाभ नही ले पा रही है, क्योंकि अन्य समस्त दस्तावेजात में रूकमणी बाई नाम दर्ज है। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर इंतकाल नंबर 1484 दिनांक 19.09.2014 वाके ग्राम कलमंडा को निरस्त किया जाकर अपीलांटा का नाम द्वारका बाई के स्थान पर रूकमणी बाई दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की सुनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.11.10 13:16:38 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांटा ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलांटा का नाम समस्त दस्तावेजात में रूकमणी बाई दर्ज है, लेकिन इंतकाल खोलत समय रूकमणी बाई के स्थान पर द्वारका बाई नाम दर्ज कर दिया गया। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर इंतकाल नंबर 1484 दिनांक 19.09.2014 वाके

माल कलमंडा को निरस्त किया जाकर अपीलांटा का नाम द्वारका बाई के स्थान पर रूकमणी बाई दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार द्वारा अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि तत्समय उपलब्ध जानकारी अनुसार नामांतरकरण बाद जांच ही दर्ज किया गया है, तथा अपीलांटा द्वारा नामांतरकरण निर्णय दिनांक 19.09.2014 के इतने समय पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है, जो मियाद बाहर होने के कारण निरस्त फरमाई जावें।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा द्वारका बाई का नाम रूकमणी बाई होना, अंकित किया गया है, परन्तु उसके द्वारा छीतरलाल की पुत्री होने बाबत कोई दस्तावेज पेश नही किया गया। वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 9 व सभापति नगर परिषद, बारां का प्रमाण पत्र पेश किया है। जिसके अनुसार द्वारिका बाई उर्फ रूकमणीबाई पुत्री छीतरलाल जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा तहसील बारां जिला बारां की रहनेवाली है, जिसकी शादी कोटा कर दी गई है। इसका आधार कार्ड में नाम रूकमणी बाई है, दोनो नाम एक ही है। ऐसी स्थिति में अपीलांटा की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर ग्राम कलमण्डा का नामान्तरकरण संख्या 1484 दिनांक 19.09.2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक छीतरलाल की पुत्री के संबंध में पुनः जांच कर सही नाम से नामांतकरण दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.11.10 13:16:38 IST
Reason: SelfAttested